

असावारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1027]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 30, 2011 /ज्येष्ठ 9, 1933

No. 1027]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 30, 2011/JYAISTHA 9, 1933

कॉर्पेरिट कार्य मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 30 मई, 2011

का.आ. 1229(अ).—भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 479(अ), तारीख 4 मार्च, 2011 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी ''उक्त अधिनियम की धारा 5, धारा 6, धारा 20, धारा 29, धारा 30 और 31'' शब्दों और अंकों के पश्चात् ''प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का 39) की धारा 4, धारा 5, धारा 14, धारा 22, धारा 23 तथा धारा 24 द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम की धारा 5, धारा 6, धारा 20, धारा 29, धारा 30 और धारा 31'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 5/4/2003-आईजीसी/सीएस]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATEAFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th May, 2011

S.O. 1229(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii), number S.O. 479(E), dated the 4th March, 2011, for "section 31 of the said Act" read "section 31 of the said Act as amended by sections 4, 5, 14, 22, 23 and section 24 of the Competition (Amendment) Act, 2007 (39 of 2007)".

[F. No. 5/4/2003-IGC/CS]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.